ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 239-243

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

नाारी सशक्तीकरण में 73वें संविधान संशोधन की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

डॉ0 भावना पाण्डेय

सहायक आचार्य– समाजशास्त्र विभाग, महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज, जंगल धूशण, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-11.12.2022, Revised-17.12.2022, Accepted-22.12.2022 E-mail: pandeydr.vimal@gmail.com

सारांशः ***70 के दशक के प्रारम्भिक समय से नारी अध्ययन एवं महिला विकास सम्बन्धी वैचारिकी ने बौद्धिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन के साथ–साथ सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुए तथा नवीन व्यवसायों के प्रादुर्भाव तथा आधुनिकीकरण की प्रकिया सामाजिक गतिशीलता को एक दिशा मिली साथ ही समानता और स्वतन्त्रता की अवधारणाओं में समूहों की पारस्परिक असमानता को हटाने का कार्य किया। इसी परिप्रेक्ष्य में पुरुष एवं महिला के सम्बन्धों एवं प्रास्थितियों में असमानता बुनियादी सवाल के रुप में समाज वैज्ञानिकों के समक्ष उभरा। वास्तव में विभिन्न समाजों में महिला प्रस्थिति एवं भूमिका का विवेचन एवं विश्लेषण उन समाजों के संस्थागत पैरामीटर के अनुसार किया गया है। यही कारण है कि नारीवादियों ने महिला सम्बन्धी प्रस्थिति एवं भूमिका की गहनता एवं उसका सूक्ष्म अध्ययन हेतु संज्ञानात्मक आधार की सिफारिश किया और विविध पैराडाइम यथा सार्वभौमिक, जैविक लिंग सम्बन्धी विशेश प्रस्थिति एवं स्तर, लिंग प्रस्थिति सम्बन्धी स्टिगमा विरोधाभाषी ज्ञान मीमान्सात्मक अधिविन्यास तथा सकियतावादी अभिविन्यास के आधार पर समझाने का प्रयास किया है।***

कुंजीभूत शब्द– औद्योगिक क्रान्ति, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्यों, प्रादुर्भाव, आधुनिकीकरण, सामाजिक गतिशीलता।

इस दृष्टि प्रारुप के तहत शोधार्थिनी ने नारी सशक्तिकरण में 73वें संविधान संशोधन के प्रभाव (यथा सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक) का समाजशास्त्रीय ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया है ।

पंचायतीराज संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्रोतों में वृद्धि, सामाजिक न्याय से सम्बन्धित योजनायें, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए स्थान सुरक्षित रखना, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि से सम्बन्धित योजनायें बनाने का कार्य पंचायत संस्थानों को प्रदान करना आदि है।

वर्तमान समय में महिलाओं को एक सशक्त स्तम्भ के रुप में देखा जा रहा है तथा साथ ही साथ महिलाओं की राजनितिक सहभागिता को सक्रियता प्रदान करने हेतु निर्णय प्रक्रिया में उनका स्थान नियत किया जाना एक सुधारवादी एवं प्रयोगवादी प्रयास है।

इस संशोधन की मान्यता रही है कि यदि महिलाओं में राजनितिक संज्ञानता और चेतनात्मक अभिवृद्धि होती है तो महिलाओं की सामाजिक प्रास्थिति में सुदृढ़ता की संभावना ज्यादा होगी और वे अपने परिवार के साथ–साथ समाज को भी एक नयी दिशा प्रदान करेगीं।

वर्तमान शोध पत्र में शोधार्थिनी की मान्यता है कि महिलाओं में जागरुकता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण उनका राजनैतिक संगठनों की सदस्यता के प्रति रुचि में बढ़ोत्तरी होगी और पंचायत गतिविधियों में समय तथा कार्य में प्रतिबद्धता बढ़ेगी, साथ ही जनसम्पर्क के लिए दिये जाने वाले समय में गुणात्मक अन्तर आयेगा। राजनैतिक प्रशिक्षण और अनुभव क्षमता का विकास अवश्य करेगा। इस सम्बन्ध में कुछ समाज वैज्ञानिकों का मत है कि राजनैतिक सहभागिता और भर्ती के कारण महिलाओं की परम्परागत भूमिका में जटिलता और व्यापकता में वृद्धि होगी जिससे महिलाओं के सामने नयी चुनौती भी आने की संभावना है।

अतः इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में होने वाले परिवर्तनों एवं तदसंबन्धित पक्षों को समाजशास्त्रीय ढंग से विश्लेषित करने का एकल प्रयास किया है।

शोध प्रारुप– मुख्य उद्देश्य :

अध्ययन का उद्देश्य –

1. अध्ययन में शामिल महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना।
2. महिलाओं की राजनीतिक उन्मुखता का पता लगाना।
3. महिलाओं का अधिकार एवं उत्तरदायित्व बोध के प्रति संज्ञानता का पता लगाना।
4. महिलाओं का पंचायतीराज व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों की जानकारी के साथ–साथ आरक्षण के प्रति उनकी संज्ञानता का पता लगाना।
5. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में सक्रियता की प्रकृति एवं तीव्रता का विश्लेशण करना।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

6. पंचायतीराज व्यवस्था के परिणाम स्वरुप महिला प्रस्थिति में होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालना।

अध्ययन समग्र– प्रस्तुत शोध के अर्न्तगत समग्र के रुप में महराजगंज जनपद के चार गांवो को लिया गया है । इन चार गांवों से संयुक्त/एकल परिवार को शामिल किया गया है तथा ऐसी महिलायें जिन्होंने कम से कम 18 वर्ष की अवस्था पूरी कर ली है।

अध्ययन का क्षेत्र– महराजगंज जनपद 2 अक्टूबर 1989 को पूर्व जनपद गोरखपुर के विभाजन के फलस्वरुप अस्तित्व में आया। 2 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के पावन पर्व पर अस्तित्व में आने वाले महराजगंज जनपद के इतिहास की रुपरेखा पुनर्गठित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इस क्षेत्र का काम ही उल्लेख हुआ है। ऐसी स्थिति में यथासंभव उपलब्ध साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों की सम्यक समीक्षा के उपरान्त इस जनपद का इतिहास निर्विवाद रुप से प्रस्तुत कर पाना असंभव है।

महाकाव्य–काल में यह क्षेत्र कारापथ के नाम से जाना जाता था, जो कोशल राज्य का एक अंग था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र पर राज्य करने वाले प्राचीनतम सम्राट इक्ष्वाकु थे, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। इक्ष्वाकु के उपरान्त इस राजवंश में अनेक प्रतापी सम्राट हुए। अंततः सम्राट राम ने अपने जीवन काल में कोशल–साम्राज्य को अनेक छोटे–छोटे राज्यों में बांट दिया और अपने पुत्र कुश को कुशावती का राजा बनाया, जिसकी आधुनिक समता कुशीनगर के साथ स्थापित की जाती है। राम के संसार त्याग के उपरान्त कुश ने कुशावती का परित्याग कर दिया और अयोध्या लौट गये। बाल्मिकी रामायण से ज्ञात होता है कि मल्ल उपाधिकारी लक्ष्मण पुत्र चन्द्रकेतु ने इसके उपरान्त इस सम्पूर्ण क्षेत्र के शासन सूत्र का संचालन करना प्रारम्भ किया।

महाभारत में वर्णित है कि युधिष्ठर द्वारा सम्पादित राजसूय यज्ञ के अवसर पर भीमसेन को पूर्ववर्ती क्षेत्रों को विजय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। फलतः भीमसेन ने गोपालक नामक राज्य को जीत लिया, जिसे बॉस गॉव स्थित गोपालपुर के साथ स्वीकृत किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान महाराजगंज जनपद का दक्षिणी भाग निश्चित रुप से भीमसेन की इस विजय यात्रा से प्रभावित हुआ होगा।

महाभारत युग के उपरान्त इस संपूर्ण क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। कोशल राज्य के अधीन अनेक छोटे–छोटे गणतन्त्रात्मक राज्य अस्तित्व में आये, जिसमें कपिलवस्तु के शक्तियों और राम ग्राम के कोलियों का राज्य वर्तमान महराजगंज जनपद की सीमाओं में भी विस्तृत था। शाक्य एवं कोलिय गणराज्य की राजधानी रामग्राम की पहचान अब भी उलझी हुई है । डॉ0 राजबली पाण्डेय ने रामग्राम को गोरखपुर के समीप स्थित रामगढ़वाल से समीकृत करने का प्रयास किया है किन्तु आधुनिक शोधों ने इस समस्या को निःसार बना दिया है। कोलिय जैसे एक छोटे गण राजा के द्वारा गोरखपुर तक के एक विस्तृत भू–भाग पर शासन करना असंभव प्रतीत होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो0 शिवाजी सिंह ने 1968 ई0 के इतिहास कांग्रेस के रॉची सत्र में रामग्राम को निचलौल के समीप स्थित भणियशभार से समीकृत किया था। अभी कुछ ही वर्श पूर्व श्री विजय कुमार एवं श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी ने अपने विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर चौकरेंज में रोहिणी के पूरब एवं धरमौली के उत्तर–पश्चिम में स्थित कन्हैया बाबा के स्थान से रामग्राम का तदात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया है। ज्ञातब्य है कि चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार रामग्राम की दूरी 200कि0मी0 (लगभग 22 मील) थी। फाळयान और हेनसांग ने रामग्राम नगर के दक्षिण पूर्व बुद्ध की अस्थियों पर बने स्तूत एवं पार्श्व में स्थित पुश्करणी का स्पश्ट उल्लेख किया है। स्तूप के सन्निकट श्रामणेर मठ भी था । श्री विजय कुमार एवं श्री कृश्णानन्द त्रिपाठी के अनुसार कन्हैया बाबा के स्थान के समीप स्थित टीला प्राचीन रामग्राम से हो सकता है। इन विद्वानों ने श्राणमेर मठ का तादाम्य सोनाड़ी देवी के स्थान से स्थापित करने का सुझाव रखा है। चौकरेंज के घने जगंलों के बीच मलाव नाले के तट 1–1/2 मील क्षेत्र में ईंटों के छोटे–छोटे टुकड़ें भूरें एवं लाल मृदभांडो के अवशेश तथा गुप्त काल के पूर्व विभिन्न पुरावशेशों की उपस्थिति ने उपर्यक्त मान्यता को दृढ़ आधार प्रदान किया है।

निदर्श– अध्ययन समग्र में से 4 गॉवों का निर्वचन जनांनकीय संरचना के आधार पर किया गया। ये चार गॉव डुबौलीं, गौरानिपनियॉ, धनेवा–धनेई, सिसवाराजा की जन्संख्या, परिवार की संख्या तथा मतदाताओं की संख्या जनपद में अवस्थित अन्य गॉवों से अपेक्षाकृत अधिक हैं। इस आधार पर गॉवों का निर्वचन किया तथा परिवारों की संख्या के आधार पर प्रत्येक गॉवों से 45 प्रतिशत महिला मतदाताओं का चयन आनुपातिक स्तरीकृत दैवनिदर्श प्रणाली के द्वारा किया गया। इस प्रकार अध्ययन में कुल 500 महिलाओं को शामिल किया है। गॉवों का चयन, सामाजिक–आकारकीय तथा निदर्श को निम्न सारिणी में दर्शाया गया है।

सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक प्रघटनाओं की जानकारी हेतु अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त समंकों तथा तथ्यों के आधार

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

पर की जाती है । इस प्रकार तथ्य को अनुसंधान की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करने के लिए एक उपकरण के रुप में सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं ने स्वीकार किया है। सामाजिक समस्यायें स्थान विशेष में घटनामूलक तथा परिस्थितिमूलक दोनों होती है। ऐसी स्थिति में तथ्य संकलन से प्राप्त विधियों की व्याख्या समयानुकूल उचित दिशा की ओर शोध–पत्र को ले जाने में सहमत होती है। प्रस्तुत शोध पत्र मूलरुप से समस्यामूलक, विवरणमूलक, विकासमूलक एवं परिवर्तनशीलता का मिला जुला स्वरुप है। प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्य संकलन के स्रोत के रुप में प्राथमिक और द्वैतीयक स्रोत का सहारा लिया गया ह ।

प्राथमिक स्रोत–

प्राथमिक स्रोत के अर्न्तगत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है –

(क) एक संरचित मुद्रित साक्षात्कार अनुसूची।

(ख) वैयक्तिक, इतिहास, विधि।

(ग) अवलोकन पद्धति एवं साक्षात्का।

इसके अन्तर्गत उपलब्ध भारतीय जनगणना रिपोर्ट, महराजगंज सेंसस हैंडबुक, जिला महराजगंज से सम्बद्ध पत्रिका तथा पूर्ववर्ती शोध प्रतिवेदनों का सहारा लिया गया है। उपलब्ध तथ्य स्वंय के अध्ययन तथा निदेशक की अधीनस्थता में भी पाये गये, जिनका सहारा लिया गया।

शोध अध्ययन की सीमायें– अध्ययन हेतु चयनित विशय–वस्तु से सम्बन्धित विविध आयामों पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो चुके और संपादित भी किये जा रहे हैं। शोधार्थी के रुप में अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इनमें से हम उन्हीं पक्षों को जानने का प्रयास किया है, जो अब तक अछूते हैं। समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शोधार्थिनी ने विशेश रुप से महिलाओं को राजनीति संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उससे उनके सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत एवं मानसिक धरातल किस प्रकार का अभिनव उन्मेश उभर रहा है इसको जानने के लिए अनौपचारिक आधार पर भी अध्ययन करने का प्रयास किया है।

पंचायतीराज व्यवस्था : ऐतिहासिक सन्दर्भ– भारत गॉवों का देश है । भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में निवास करती है। अतएव जबतक गॉवों का विकास नही हो, भारत का विकास नही हो सकता। श्गॉवों के विकास पर ही भारत की समृद्धि निर्भर है। अर्थात गॉवों के विकास में भारत का विकास निहित है।

गॉवों के विकास के लिए आवश्यक है कि गॉव स्तर पर व्यवहार हो अन्यथा ग्रामीण विकास अपने लक्ष्य में सफल नही हो सकेगा। पंचायतें भारतीय प्राचीन संस्कृति कर अमानत ही नही वरन भारतीय स्वाधीनता के सागर–मंथन की जाज्वल्यमान उपलब्धि है। निःसदेह वह राश्ट्रीय एकता के साथ–साथ हमारे लोकजीवन की सजीव जनाकांक्षाओं की सशक्त अभिव्यक्ति है। प्राचीन समय से ही पंचायतें भारतीय ग्रामीण प्रशासन की संस्थायें रही है। ऐसी स्वशासित संस्थाएं ग्रामीण समुदाय में मानव कल्याण भावना से ओत–प्रोत थी तथा ग्रामीण विकास के साथ–साथ इनके द्वारा न्याय सम्बन्धी कार्य भी किया जाता रहा है। सन् 1880 के एक ब्रिटिश गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाल्फ ने ग्राम समाजों को छोटे–छोटे प्रजातन्त्रों के नाम से सम्बोधित किया, उनका कहना था कि ये ग्राम समाज छोटे–छोटे प्रजातन्त्र हैं, जिन्हें अपनी आवश्यकता की लगभग हर वस्तु अपने भीतर ही मिल जाती है और जो विदेशी संबन्धों से लगभग स्वतन्त्र होते हैं , वे ऐसी परिस्थितयों में भी विद्यमान रहते हैं, जिनमें दूसरी प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व मिट जाता है। ग्राम समाज का यह संघ जिनमें से प्रत्येक समाज अपने आप में एक छोटा सा स्वतन्त्र राज्य होता है। इनके समृद्धि का बहुत हद तक साधन बनता है और उसके अर्न्तगत वे बड़ी मात्रा में स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का उपयोग होता है।

पंचायतीराज व्यवस्थाः ऐतिहासिक संदर्श–

पंचायतीराज व्यवस्था की ऐतिहासिक क्रम को निम्न भागों में बॉटकर समझना अधिक तर्कसंगत लगता है।

1. प्राचीन काल
2. मध्य काल
3. ब्रिटिश काल
4. स्वतन्त्र भारत काल

73वें संविधान के अन्तर्गत पंचायतें– संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा संविधान में भाग 9 और संविधान में 74वें संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ें गये हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतराज संस्थाओं की ओर 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं में लोकतान्त्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। इससे पूर्व संविधान के अनुच्छेद 40 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इस दिशा में समुचित कदम नही उठाये

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

गये। स्वायत्व शासन की इकाईयों के रुप में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए हमारे राष्ट्रपिता गॉधी ने बहुत बल दिया था।

73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की स्थापना करके तथा संवैधानिक मान्यता प्राप्त करके एक सराहनीय कार्य किया गया।

सर्वप्रथम स्व0 राजीव गॉधी के कार्यकाल में पंचायतराज विधेयक 64वें संविधान अधिनियम 1989 के नाम से संसद में लाया गया, किन्तु उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को संसद में अपेक्षित बहुमत न मिलने के कारण विधेयक पारित नही हो सका था। इसके अतिरिक्त राज्यों को इस विधेयक के कुछ उपबन्धों के बारें में यह आपत्ति थी कि इससे उनके परिसंघातमक प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों एवं नगपालिकाओं के स्तर पर लोकतन्त्र की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। संशोधन के पूर्व यद्यपि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, किन्तु इसकी स्थापना और चुनाव राज्य विधान मंडलों द्वारा निर्मित अधिनियमों के अधीन की जाती थी। फलतः पंचायतों का नियमिति रुप से और समय पर निर्वाचन नही होता था। इस संविधान संशोधन द्वारा अब यह उपबंध किया गया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव नियमित रुप से करायं जाएंगे और उपरोक्त संस्थाओं और वे प्रशासन एवं विकास में अपने संवैधानिक दायित्वों को निभायेगी। इन संशोधनों द्वारा संविधान में जोड़े गये भाग 9 द्वारा संविधान के 16 नये अनुच्छेद और एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 18 अनुच्छेद एवं नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी। इस प्रकार भारत में नई संवैधानिक त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था का जन्म हुआ।

प्राप्त साक्ष्यों तथा ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पंचायतीराज व्यवस्था का संबन्ध भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रारम्भिक समय से रहा है। प्राचीन समय में इसकी संरचना एवं प्रकार्य तद्जनित व्यवस्था के अनुरुप ही रही है और कालान्तर में जब समाज विशमांगी एवं जटिल होता गया और विकास को चुनौती के रुप में देखा गया तब स्वातन्त्रोंत्तर भारत में नीति–नियामकों, समाज चिंतकों ने पंचायतीराज व्यवस्था के औचित्य को विकासोन्मुख माडल के रुप में संरुपित करने का प्रयास किया और समय–समय पर इसे प्रकार्यात्मक बनाने का प्रयास किया गया। समसामयिक स्थिति में पंचायतीराज को शक्ति के विकेन्द्रीकरण के हथियार के रुप में, विकास मॉडल के संप्रत्यय के रुप में तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से महिलाओं को सशक्त करने के साधन के रुप में तथा गॉव को स्थानीय स्वशासन की प्रमुख इकाई के रुप में परिपोशित करने का बहुआयामी साध्य और साधन है।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर साराशं– प्राप्त तथ्यों से इस बात की पुष्टि भी होती है कि आज ग्रामीण परिवार मामलों के सनदर्भ में परिवार के पुरुष अभिकर्ता महिलाओं से विचार–विमर्श कर रहे हैं। परिणामतः अद्यतन परिवेश में निर्णय प्रकिया के तहत महिलाओं को साझीदार बनाया जाना उनकी प्रस्थिति में बदलाव को इंगित करता है।

समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों का महिलायें विकास के रास्ते में अवरोधक मानती हैं साथ ही लैंगिक असमानता अथवा महिला पुरुष दर में व्याप्त असमानता हेतु भ्रूण हत्या को जिम्मेदार मानती हैं साथ ही लैंगिक विभेद को प्राकृतिक प्रघटना मानती है लेकिन तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि आज की ग्रामीण महिलायें भी इस अन्तरभेद को स्वीकार करने के बावजूद लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कहीं ज्यादा उच्च शिक्षा दिलाने की पक्षधर पायी गयी।

सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में परिवार की प्रकृति, शिक्षा तथा व्यवसाय को स्वीकार किया जाता है । इस सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि यदि महिलायें अपने पारिवारिक दायित्वों का उचित ढंग से निर्वाह करें तो परिवार की प्रकृति चाहे संयुक्त हो या एकांकी दोनों की परिधि में महिलाओं की प्रस्थिति स्वंय तदात्मीकृत होगी तथा शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं व्यवसाय में पदार्पण से उनमें गतिशीलता बढ़ेगी। परिणामतः महिलाओं की पूर्व प्रस्थिति में पवर्तन अस्वाभाविक प्रक्रम के रुप में दृष्टिगोचर होगा। जैसा कि अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों से यह देखने को मिलता है कि 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण महिलायें निजी तथा सरकारी सेवाओं में संलग्न है। अतः रोजगार के प्रति तीव्र उन्मेख प्रत्यक्ष तथा अपरोक्ष रुप से महिलाओं की प्रस्थिति के प्रति सजगता को इंगित करता है। लिंग सम्बन्धी विशेश प्रस्थिति एवं स्तर से सम्बन्ध नारीवाद सम्बोध इस तथ्य को उजागर करता ह कि वर्तमान समय में मध्यम वर्ग की महिलायें नये पेशों व्यवसायों, नौकरियों में आ रही हैं फिर भी परम्परागत समाज के संस्थानगत ढॉचे के कारण उन्हें उचित हैसियत नही मिल पा रही है। आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद भी सामाजिक समानता नही मिल पायी है और न ही महिलाओं के प्रति पुरुष समाज का महिलाओं के रागात्मक गुणों के प्रति नजरिया बदलता है। यह निष्कर्ष नारीवाद परिकल्पना के औचित्य की सार्थकता को पुष्ट करता है।

शिक्षा के अनुरुप कार्योजन की प्रकृति सम्बन्धी तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षित ग्रामीण महिलाओं को उनके शैक्षणिक स्तर के अनुरुप रोजगार नही मिला है जिससे यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण अंचल में रोजगार की कमी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

है तथा रोजगार सृजन की महिला विशेष के लिए अपरिहार्य है, जो भी ग्रामीण महिलायें कार्योंजित पायी गयी उनमें से अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में अथवा प्राइवेट संस्थानों में कम आय पर कार्य करती पायी गयी, लेकिन उनमें स्वचेतना और अपनी प्रस्थिति के प्रति सजगता की प्रवृत्ति भी देखने को मिली ।

जहॉ तक राजनीतिक स्तर पर महिला प्रस्थिति का सवाल है, इस सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यों से यह पता चलता है कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के तहत एवं नवीन पंचायत व्यवस्था में शक्ति और सत्ता के पुनर्वितरण हेतु जो सरकारी प्रयास किया जा रहा है, उसका समर्थन एवं सकरात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अध्ययन के दौरान अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली है साथ ही साथ उनमें जागरुकता भी पायी गयी है तथा ग्रामीण महिलाओं ने यह उल्लेख किया कि राजनैतिक सहभागिता से महिलाओं में आत्म–विश्वास, सम्मान तथा सामाजिक दायरे में बढ़ोत्तरी होने से उनकी प्रस्थिति पर प्रभाव पड़ा है। अतः यह कहना प्रासंगिक सा प्रतीत होता है कि शक्ति संरचना में जितना ही अधिक उनकी भागीदारी सबल होगी उतना ही महिलायें सशक्त होंगी।

साराशंतः यह कहा जा सकता है कि समकालीन परिवेश में महिला प्रस्थिति में अनेकों बदलाव आयें हैं जिसका सामाजिक, सांस्कृतिक और बाजार व्यवस्था में प्रभावित किया है इसके बावजूद भी नारीवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सोच और ज्ञानमीमांसा के धरातल पर यदि सैद्धान्तिक और नीतिगत प्रारुप का निर्माण करना हो तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंकलन के माध्यम से महिला सम्बन्धी योजनाओं को निर्मित किया जाय ताकि उसकी ग्राहयता और सबल होगी ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. महात्मा गॉधी इंडिया 26.12.1929, पृष्ठ 420.
2. महात्मा गॉधी, हरिजन, 29.08.1936, पृष्ठ 220.
3. चार्ल्स म काल्फ ने उक्त कथन 1832 में हाउस ऑफ कामर्स के समक्ष कहे (ग्लिंपसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री)।
4. के0एम0 पाणिकर ए.सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बंबई, पृ. 9.
6. अल्तेकर, प्राचीन भारतीय पद्धति, पृ0 160.
7. एम0एम0 श्रीनिवास, सोशल चेंज इन मार्डन इंडिया, 1961.
8. एस0 के0 डे0 पंचायतराज, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 1962, पृ0 75.
9. खान, जियाउद्दीन, पंचायतराज एंड डेमोक्रेसी, ऐशिया, पृ0 310 (1957).
10. बलवंत राय मेहता रिपोर्ट (1957).
11. सुलेरॉट इवेन लाइन, वीमेन चेंज मार्डन इंडिया।
12. पणिक्कर के.एम., हिन्दू सोसायटी एंड क्रास रोड्स, पृ. 35.
13. डॉच श्रीनिवास, एम.एन. सोसल चेंज इन मार्डन इंडिया।
14. देसाई, नीरा, वीमेन इन मार्डन, इण्डिया बोस, बाम्बे, 1957.
15. लिंटन, रॉल्फ द कल्चरल बैक ग्राउण्ड ऑफ पर्सनॉलिटी, पृ. 364.
16. महराजगंज जनपद विकास पत्रिका, 2006.
17. महराजगंज : भौगोलिक परिचय : प्रकाशक जनपद बुक डिपो 2001.
18. जनगणना रिपोर्ट जनपदीय, 2006.
19. कोठारी, सी.आर. : रियर्च मेथडोलाजी : मेथड्स एण्ड टेक्निक्स, विश्वा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994.

*****